

कार्यवाही
उपस्थिति दि. 1.7.2022

प्रमाण नं. १

Kuldeep

Rameshwar

Siddhant

कामला यादव

श्री अकबर सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी की बैठक पूर्व
रजिस्ट्रार के अनुसार आज दि. 1.7.2022 को समिति कापिल में
पर अध्यक्ष श्रीमती कामला यादव की अध्यक्षता में
सम्पन्न हुई उपस्थिति पूर्ण है।

उपरोक्त सत्रा में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :-

- (i) पिहली बैठक की समाप्ति।
- (ii) नये प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या (i) :- संस्था सचिव श्री संजीव यादव ने प्रस्ताव
रखा कि जामेसी कॉलेज की मा-यता संबंधी

प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु संस्था एवं संस्थान की भूमि की
लेजिस्वाइ इन्स्टीट्यूट ऑफ जामेसी के नाम करना नितीत
आवश्यक है के कृम में संस्था श्री अकबर सिंह सोशल वेलफे
-यर सोसाइटी की भूमि ग्राम लडाभया के खसरा संख्या

272 कुल रकवा 0.5030 हे. का 1/2 भाग यानी 0.2515 हे. में
से 2000 हे. व संस्थान स्वाइ इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड
टेक्नोलोजी लडाभया आगरा के खसरा संख्या 273 रकवा 0.5030
हे. का 1/2 भाग यानी 0.2515 हे. व खसरा संख्या 273

रकवा 0.6080 हे. का 2/3 भाग यानी 0.4053 हे. जिनका

कुल रकवा 0.8568 हे. यानी 8568 वर्ग मीटर भूमि को

स्वाइ इन्स्टीट्यूट ऑफ जामेसी ग्राम लडाभया जिला

3 आगरा का 29 वर्ष 11 माहा के लिये रजिस्टर्ड लीड डीड

क्रिया जाय का समर्थन सदन में उपस्थिति सत्रा सदन में

ने क्रिया एवं प्रस्ताव सर्वलभ्यता से पारित कर दिया।

प्रस्ताव संख्या (2) :- संस्था सचिव श्री संजीव यादव ने प्रस्ताव रखा कि स्काई इन्स्टीट्यूट ऑफ जामेरी लडाखम जिला आगरा की मा-यता हेतु जो रिट माननीय न्यायालय में दाखिल की थी उसकी परिश्रम न्यायालय ने आवेदन प्राप्त करने हेतु पीएलसीआई का आवेदन पारित किया है आदेश में अर्थात् सचिव संस्थाओं को MOC/Consent letter प्रयत्न करने हेतु आवेदन मांगे जाये हैं अपनी उपरोक्त संस्था को आवेदन करने हेतु प्रस्ताव रखा गया जिसको सचिव उपस्थित सदस्यों एवं पत्राधिकारियों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

प्रस्ताव संख्या (3) :- सचिव श्री संजीव यादव ने पुनः प्रस्ताव रखा कि प्रस्तावित नूत्रि को स्काई कालेज ऑफ जामेरी के उद्योग में लिना जायेगा तथा उसमें केवल पीएलसीआई द्वारा मा-यता प्राप्त व परिषद 3050 लेखन से सम्बंध डिप्लोमा जामेरी पाठ्यक्रम संचालित किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या (4) :- अध्यक्ष श्रीमती कमला यादव ने प्रस्ताव रखा कि स्काई इन्स्टीट्यूट ऑफ जामेरी को MOC/Consent letter एवं मा-यता संबंधी कार्रवाई हेतु सचिव श्री संजीव यादव को अधिकृत किया जाता है का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है।